

मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक: ६९४ / ८९३ / २०२०/A-१६

भोपाल, दिनांक ३। /०८/२०२०

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
2. समस्त कलेक्टर
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
5. समस्त मुख्य नगर नगर पंचायत/पालिका अधिकारी, जनपद पंचायत,
6. समस्त मुख्य नगर नगर पंचायत/पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय: श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के पंजीकृत श्रमिकों के लंबित भौतिक सत्यापन के संबंध में।

संदर्भ: इस विभाग का पत्र क्रमांक 756/595/2019/ए१६, दिनांक 20/06/2019 एवं इस विभाग का पत्र क्रमांक 1198/595/2019/ए१६, दिनांक 21/08/2019।

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की पात्रता के संबंध में सत्यापन जुलाई 2019 से 30 सितम्बर, 2019 के मध्य किया गया था। संपूर्ण प्रदेश में उक्त अवधि में 12,68,506 व्यक्तियों का सत्यापन नहीं हो पाया था। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शेष व्यक्तियों का सत्यापन अभियान चलाकर किया जाए। वर्तमान में जिलेवार मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत पंजीकृत असत्यापित कर्मकारों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।

2. मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार, वार्डवार पंजीकृत हितग्राहियों की सूची (सूची श्रम सेवा पोर्टल से प्रिंट ली जाकर) का डोर टू डोर सत्यापन कराया जावें। प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) में सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी, सत्यापन कार्य करेंगे तथा संबंधित पंचायत/वार्ड के नोडल अधिकारी होंगे।

3. प्रत्येक दिवस किए गए सत्यापन के उपरांत पाए गए अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही अगले दिवस को नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं पोर्टल पर भी अद्यतन करना होगी। इस हेतु संबंधित निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा योजना की पात्रता-अपात्रता के मापदंडों/शर्तों/अर्हताओं इत्यादि के प्रपत्र तैयार कर सचिव/वार्ड प्रभारियों को दिए जावें, जिससे अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की प्रक्रिया तत्काल की जा सकें।

5. अभियान में सत्यापन के दौरान सूची में ऐसे पात्र हितग्राही जिनके आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है उनके आधार नम्बर भी प्राप्त किए जाकर पोर्टल पर अद्यतन किए जाये।

निरंतर 2

जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय, जनपद स्तर / निकाय स्तर, पंचायत / वार्ड स्तर के नोडल की नियुक्ति की जावे एवं कंट्रोल रूम स्थापित किया जाकर प्रतिदिन के सत्यापन कार्य का अनुवीक्षण एवं जानकारी अद्यतन करवाई जावें।

"इस अभियान में गुरुभ्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत अपात्र पंजीकृत व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही इसी अवधि में की जावे।"

विभागीय श्रम निरीक्षक एवं श्रम पदाधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य की दैनिक निगरानी भी करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि विभाग के श्रम सेवा पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टियाँ हैं।

उपर्युक्त अनुसार सत्यापन अभियान 01 सितम्बर से 20 सितम्बर 2020 तक की अवधि में सम्पन्न किया जावें। सत्यापन की सम्पूर्ण कार्यवाही इसी अवधि में की जावेगी। यदि किसी व्यक्ति का सत्यापन नहीं किया जाता है तो इसके लिए नगरीय निकाय एवं जनपद के प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(छोटे सिंह)

उप सचिव, म.प्र. शासन
श्रम विभाग

भोपाल, दिनांक ३।/०८/२०२०

पृ.क्रमांक : ६९९ | ८९३ | २०२० | A-१६

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. मुख्य सचिव के उप सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कार्यवाही हेतु राज्य नोडल अधिकारी होंगे तथा सत्यापन कार्यवाही का सतत अनुवीक्षण करते हुए अद्यतन जानकारी से राज्य शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
8. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. सचिव, मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
10. श्री सुनील जैन, सीनियर टेक्नीकल डायरेक्टर, एनआईसी, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल को उपरोक्त कार्य पोर्टल पर संपादन किए जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. विभागीय रिकार्ड फाईल।

उप सचिव

मप्र शासन, श्रम विभाग